न्यायालय तहसीलदार परबतसर (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का पीपलाद

बनाम

अप्रार्थी :– श्री रियाज मो. पुत्र रावत खां देशवाली सां. निवासी परबतसर

अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 24 / 18

निर्णय दिनांक 25 / 10 / 2018

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पीपलाद ने अप्रार्थी के विरूद्व टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2075 में सरहद पीपलाद के ख.न 169 रकबा 1.02 है. भूमि किस्म बारानी 2 में बाडा/काश्त कर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस दिया गया। अप्रार्थी स्वंय से नोटिस तामिल हुआ जो शामिल पत्रावली है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया । अप्रार्थी दिनांक 22.10.2018 को उपस्थित हुए तथा लिखित म`कोई जवाब प्रस्तुत नही किया। पत्रावली दिनांक 25.10.2018 को पेश हुई,अप्रार्थी अनुपस्थित रहा।

अप्रार्थी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की जाकर उक्त अतिकमित भूमि पर किये गये अतिकमण को मौके से बेदख़ल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 5 रूपये प्रति हैक्टेयर से की दर से अतिकमित रकबा 1.02 है. भूमि के 5.10 रूपये लगान का 50 गुणा 255/– अक्षरे दो सौ पचपन रूपये बतौर जुर्माना कायम कर दंडित किया जाता है। साथ ही मौके पर बोई गई मूंग की फसल को भू.अ.निरीक्षक परबतसर द्वारा कुर्क कर निलाम करने हेतु लिखा गया। जुर्माना एंव फसल निलामी राशि तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी व पटवारी हल्का पीपलाद एंव भू.अ. निरीक्षक परबतसर को वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का पीपलाद को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भोतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । बाद तकमील पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

तहसीलदार परबतसर

2018-19

पंजिका ... पृष्ठ सं....1.D.

... 255/— ... रु0 की

Scanned by CamScanner